न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
89/2022	17.02.2022	12/2/26

रामकेश पुत्र कन्हैया, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 61 रकबा 0.76 है0, ख0न0 62 रकबा 0.16 है0, ख0न0 4134 रकबा 0.45 है0, ख0न0 4135 रकबा 0.36 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर मे स्थित है। उक्त भूमि भूप्रबन्ध से पूर्व कन्हैया पुत्र देवचंद के नाम रही थी तथा कन्हैया पुत्र देवचंद द्वारा प्रार्थी के नाम हक त्यागर कर दिया और भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज हो गई परन्तु उक्त भूमि पर गलत रूप से रहन के इन्द्राज चले आ रहे है। भूमि भूप्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से पूर्व ही रहन मुक्त हो चुकी थी तथा रहनमुक्ति का नामा0 संख्या 112 दिनांक 21.6.76 को तस्दीक हो गया तथा जमाबंदी संवत 2031—34 मे रहनमुक्ति के आदेश का इन्द्राज भी है परन्तु प्रार्थी की खातेदारी पर उक्त रहन के इन्द्राज को पुनः अंकित कर असंवैधानिक गलत कार्यवाही की है जो एक लिपिकीय भूमि है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 61 रकबा 0.76 है0, ख0न0 62 रकबा 0.16 है0, ख0न0 4134 रकबा 0.45 है0, ख0न0 4135 रकबा 0.36 है0 ग्राम उदेईखुर्द पर गलत रू‌प से दर्ज रहन मुर्तहन के इन्द्राज को हजफ किये जावे तथा भूमि खातेदारी स्वतंत्र रू‌प से प्रार्थी रामकेश पुत्र कन्हैया जाति मीना सा0 देह के नाम दर्ज रखी जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2072—75 खाता संख्या 447, 486 ग्राम उदेईखुर्द, नकल जमाबंदी संवत 2064—67 किता 2, फोटोकापी नामा0 112, 60 ग्राम उदेईखुर्द, फोटोकापी नकल जमाबंदी संवत 2039 नकल ... शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:53 IST
Reason: Sentence Attested

अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर को कई बार लिखा जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का रहनमुक्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। फोटोकॉपी ना.सं. 112 दिनांक 21.6.76 ग्राम उदेईखुर्द द्वारा भूमि हरना व रतनलाल पुत्र हटीला से रहन मुक्त किया गया है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग के अनुसार साबिक भूमि ख0न0 21 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के नये नम्बर 61 रकबा 0.76 है0 ख0न0 62 रकबा 0.16 है0 तथा साबिक ख0न0 1074/2 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के नवीन नम्बर 4134 रकबा 0.85 है0, ख0न0 0.36 है बने है। अतः विवादित भूमि को नामा0 संख्या 112 दिनांक 21.6.76 द्वारा रहन मुक्त किया जा चुका था। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 61 रकबा 0.76 है0, ख0न0 62 रकबा 0.16 है0, ख0न0 4134 रकबा 0.45 है0, ख0न0 4135 रकबा 0.36 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2072 से 2075 में गोपी पुत्र हरना, रतनलाल पुत्र हटीला कौम मीना सा. देह के नाम से दर्ज रहन का इन्द्राज हटाने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इन खातो में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:37:53 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर